तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री अयूब खान, अधिवक्ता अप्रार्थी सं01

निर्णय **दिनांकः 25.02.2020**

हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–05–2004 अपील सं0 54/2003 बउनवान रामदयाल बनाम सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढ़बास में आराजी खसरा नं0 1157 रकबा 3 बिस्वा, 1128 रकबा 5 बिस्वा स्थित है जो सिवायचक कस्टोडियन है जिस पर अपीलांट का अर्से दराज से पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नं0 1157 में मैंने पीपल के दो पेड़ लगा रखे हैं व ईंधन लगा हुआ है व खसरा नं0 1128 में काश्त होती है जो मेरी खातेदारी की आराजी ख0नं0 1127 में मिला हुआ है जिस आराजी को नियमन करवाने हेतु अपीलांट ने आवेदन पत्र तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़बास को प्रस्तुत किया जिस पर उन्होंने अपीलांट का आवेदन पत्र दिनांक 25–5–1993 को खारिज कर दिया व बेदखल किये जाने व आराजी कब्जे राज लिये जाने की आज्ञा पारित कर दी जिस निर्णय के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर कम सैटलमेन्ट कमिश्नर, अलवर को की गई जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 31–1–2003 द्वारा अपील अपीलांट खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–1–2003 के विरूद्ध अपीलांट रामदयाल ने अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में की जिन्होंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनते हुए अपने आदेश दिनांक 27–5–2004 द्वारा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते

निगरानी / एल.आर. / 5857 / 2004 / अलवर
धोन्धा देवी बनाम रामदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुए प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़बास को प्रतिप्रेषित किया गया जिस निर्णय दिनांक 27–5–2004 से व्यथित होकर प्रार्थिया धोन्धा देवी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता के साथ प्रस्तुत की गई है। 3– विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पर बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थियां ने राजस्व अपील प्राधिकारी व अति0 कलक्टर अलवर के समक्ष प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय नहीं दिया और आदेश अन्तर्गत निगरानी दोनों खसरा नं0 1128 व 1157 की सनद अप्रार्थी के नाम जारी करने के राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा गलत आदेश दे दिये गये। आराजी खसरा नं0 1157 से होते हुए प्रार्थियां के अपने खेतों पर आने–जाने का रास्ता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों नम्बरान पर प्रार्थियां, अप्रार्थी सं0 1 के बजाय सनद् जारी कराने का अधिकार अधिक रखती है तथा विवादित भूमि में उसके अधिकार निहित होने से प्रार्थियां व्यथित पक्षकार है जिसे निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें। 5– प्रकरण की मैरिट बहस पर कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से गैर कानूनी व निरस्त योग्य है। बहस में आगे कहा कि अप्रार्थी सं0 1 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर व अति0 कलक्टर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी ने अतिक्रमी माना है। अप्रार्थी सं0 1 को अप्रार्थी सं0 2 ने जब सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया तो तहसीलदार किशनगढ़बास व अति0 कलक्टर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखल किये जाने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी अपने आदेश में अप्रार्थी सं0 1 को अतिक्रमी माना है। ऐसी स्थिति में उनको आदेश अन्तर्गत निगरानी पारित करने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थी सं0 1 अतिक्रमी होने से प्रश्नगत	

निगरानी / एल.आर. / 5857 / 2004 / अलवर
धोन्धा देवी बनाम रामदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी पर न तो नियमन कराने का अधिकार है और न राजस्व अपील प्राधिकारी अप्रार्थी सं0 2 को अप्रार्थी सं0 1 को सनद् पट्टा नियमानुसार जारी करने का आदेश ही दे सकते हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय पूर्णतया क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त योग्य है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया कि अप्रार्थी सं0 1 किन नियमों के तहत अधिकार रखता है। साथ ही अप्रार्थी सं0 1 की तरफ से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अप्रार्थी सं0 1 प्रश्नगत आराजी पर कोई क्लेम करता हो। प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 का कोई अधिकार नहीं होने से पारित आदेश विधि विरूद्ध है। बहस में आगे कहा कि अपीलीय न्यायालय का सनद् पट्टा जारी करने का अधिकारी नहीं था। कस्टोडियन भूमि के अलग नियम हैं। अतः निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय के आदेश को खारिज किया जावें। आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया। अप्रार्थीगण के पक्ष में अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। अतः प्रार्थियां का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 27–5–2004 अपास्त किया जावें। 6– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार ने निगरानीकर्ता के तथ्यों को विरोध करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी कस्टोडियन भूमि है। अप्रार्थी उसी गांव के रहने वाले हैं तथा प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त हमारा है। अतः कब्जा काश्त अनुसार आवंटन का प्रावधान है। प्रार्थी की आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में सिफारिश की है। प्रार्थीगण ने निगरानी मियाद बाहर पेश की है। रास्ते के लिए धारा 251 या 251 ए. की कार्यवाही करें। रेकोर्डेड रास्ता नहीं है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी खारिज की जावें। 7– विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 8– सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र प्रार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा	

निगरानी / एल.आर. / 5857 / 2004 / अलवर
धोन्धा देवी बनाम रामदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि प्रार्थियां द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर एवं सैटलमेन्ट कमिश्नर अलवर के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट रामदयाल ने अपने खसरा नं0 1157 व 1128 सरकारी भूमि को जो प्रार्थियां के खेत खसरा नं0 1155 व 1154 के एक मात्र रास्ता है जिसे रामदयाल प्रार्थियां के रास्ते को बन्द करके उक्त भूमि को जबरन अपनी आराजी में मिलाना चाहता है। अतः न्यायहित में प्रार्थिनी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। विद्वान न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रार्थिनी का यह भी कथन है कि प्रार्थिनी ने विद्वान अपीलीय न्यायालय के यहां भी अपील में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु उन्होंने भी प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर कोई विधिवत निर्णय पारित नहीं किया। विवादित भूमि सिवायचक कस्टोडियन भूमि है। नक्शा ट्रेश को देखने से भी स्पष्ट है कि प्रार्थिनी के खसरा नं0 1155, 1154 ही सिवायचक भूमि से लगते हुए है जिसमें प्रार्थियां का हित प्रभावित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थियां भी प्रभावित पक्षकार होने से विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-5-2004 से व्यथित है। प्रार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 का स्वीकार किये जाने योग्य है। 9- अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया सहिता स्वीकार किया जाता है। 10- विद्वान अति0 कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपने आदेश दिनांक 31-1-2003 में अंकित किया कि दिनांक 7-11-1992 की मौका रिपोर्ट जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण होना अंकित किया तथा खसरा नं0 1154, 1155 धोन्धा देवी स्त्री घीसाराम की खातेदारी में होना अंकित किया है। खसरा नं0 1141 गै0मु0 चाह कुए पर जाने का कोई सरकारी रास्ता नहीं है। व्यवहारिक रूप से जाने का रास्ता मौके पर चालू है। अपीलांट का विवादित भूमि पर क्या हक है? वह	

निगरानी / एल.आर. / 5857 / 2004 / अलवर
धोन्धा देवी बनाम रामदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत रखता है जिसे विवादित आराजी दिया जाना न्यायसंगत नहीं मानते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 27–05–2004 में माना कि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2038, 2042, 2045, 2046 व 2049 अनुसार खसरा नं0 1128 रकबा 5 बिस्वा, 1157 रकबा 3 बिस्वा में रामदयाल पुत्र रूड़ा का अतिक्रमण दर्शित किया हुआ है। नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 29–10–1991 में विवादित आराजी पर रामदयाल पुत्र रूड़ा का कब्जा काश्त है। पटवारी हल्का बम्बोरा को मौजिज व्यक्तियों ने बताया कि इन दोनों नम्बरों पर रामदयाल का कब्जा काश्त है तथा इन दोनों नम्बरों में से कभी भी रास्ता नहीं रहा तथा मौके पर इस समय भी इन नम्बरों पर कोई रास्ता नहीं है। विवादित आराजी कस्टोडियन सिवायचक होना अपीलांट द्वारा बताया गया। उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। 11– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास ने आराजी खसरा नंबर 1157 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1128 रकबा 51 बिस्वा सिवाय चक कस्टोडियन दर्ज है। फर्द मौका ग्राम बम्बोरा दिनांक 29–10–91 में अंकित है कि मौके पर खसरा नंबर 1157 में 2 पेड़ कड़वी का पून्ज लगा हुआ है तथा खसरा नंबर 1128 में ज्वार एवं प्याज बोए हुए है। मौके पर करीब 40 साल से रामदयाल पुत्र रूडाराम जाट का कब्जा काश्त है। फर्द मोका रिपोर्ट दिनांक 18–5–93 में अंकित है कि आराजी खसरा नंबर 1156 रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा नंबर 1158 रकबा 5 बिस्वा पर श्री रामदयाल पुत्र रूडाराम जाट का कई सालों से कब्जा चला आ रहा है तथा इन दोनों नम्बरों में से कभी भी रास्ता नहीं रहा। मौके पर इस समय भी इन नम्बरों में कोई रास्ता नहीं है। 12– खसरा परिवर्तनशील संवत 2038, 2043, 2044, 2045 में खसरा नंबर 1156 व 1128 में रामदयाल पुत्र रूडा की फसल दर्ज है लेकिन इन दोनों रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि किस संवत से	

निगरानी / एल.आर. / 5857 / 2004 / अलवर
धोन्धा देवी बनाम रामदयाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री रामदयाल के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही चल रही है। कब्जा 40 वर्षो से बताया गया है लेकिन खसरा परिवर्तशील संवत 2038 तथा बाद के वर्षो का पेश किया गया है जबकि वर्ष 1991 में संवत 2048 था। यदि 40 वर्षो से कब्जा था तो संवत 2008 में भी कब्जा था अर्थात राजस्थान काश्तकारी कानून प्रारंभ होने के समय भी कब्जा काश्त श्री रामदयाल का ही था लेकिन इसका एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। कोई भी सक्षम दस्तावेज पेश नहीं होने के बावजूद सिवायचक कस्टोडियन भूमि के बारे में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है कि पत्रावली तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1157 रकबा 3 बिस्वा व 1128 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास का सनद पट्टा नियमानुसार अपीलाण्ट के कीमत मय ब्याज जमा करवाई जाकर उसके पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें जो विधिसम्मत नहीं है। 13– अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–05–2004 खारिज किया जाता है । 14– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य	

निगरानी / एल.आर. / 5857 / 2004 / अलवर
धोन्धा देवी बनाम रामदयाल